न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर
पीठासीन अधिकारी :– मुनिदेव यादव (आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :–15/19 (विविध)
आरसीएमएस संख्या :– 2019/00033

उनवान

1. बलवीर
2. गिर्राज
3. पिन्टू
4. दशरथ

पुत्रगण रमेशचन्द जाति लोधा निवासी भैसैना तहसील व जिला धौलपुर।

5. फैरन सिंह
6. नेकराम
7. बद्री
8. दिवारीलाल
9. भूरी सिंह

पुत्र पूरन सिंह जाति लोधा निवासी ग्राम भैसैना तह0 व जिला धौलपुर।

10. जल सिंह
11. रतीराम
12. कल्ला

पुत्र हुक्मा उर्फ हुक्म सिंह जाति लोधा नि0 भैसैना तह0 व जिला धौलपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ, जिला धौलपुर।
2. श्रीमान् जिला कलक्टर धौलपुर।
3. श्रीमान् ग्राम पंचायत भैसैना जरिये सरपंच ग्राम पंचायत भैसैना तहसील व जिला धौलपुर।

..... रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर दि0 23.06.2000 प्र0स 132/96 उनवान रमेश चन्द बनाम सरकार।

उपस्थित :– श्री नैमीचन्द रावत अधिवक्ता अपीलाण्ट।
राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 19.03.2024

1. यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के निर्णय दिनांक 23.06.2000 के विरूद्ध पेश की गई है। सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम भैसैना तहसील व जिला धौलपुर के वादीगण अपीलाण्ट खातेदार काश्तकार थे। परन्तु बन्दोबस्त विभाग ने नये नम्बर कायम करते समय विवादित आराजी के रकवे को साविक के मुकाबले कम कर दिया। अतः वाद प्रस्तुत कर रकवा कमी वेशी की पूर्ति किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अपीलाधीन आदेश से साक्ष्य के अभाव में खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रैस्पो0 को तलव किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने के कारण काबिल खारिजी है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय में दावा वास्ते पेश करने हेतु साक्ष्य में नियत थी एवं वादी अपीलाण्ट व पैरोकार सरकार न्यायालय में उपस्थित थे। अतः कानूनन अधीनस्थ न्यायालय को साक्ष्य वादी अपीलाण्ट बंद की जाकर दावे के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य को ही साक्ष्य मानते हुये अथवा साक्ष्य प्रतिवादी के आधार पर गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिये था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा ना करते हुये मनमाने तरीके से साक्ष्य के अभाव में दावा खारिज करने में त्रुटि की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरबीजे 2008 पेज 761, 2007 पेज 618 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि अनुरूप है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलाण्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने के कई अवसर प्रदान किये परन्तु वादी अपीलाण्ट ने अपने दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने उचित रूप से दावा साक्ष्य के अभाव में खारिज किया गया है। अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलाण्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये दिनांक 29.10.99 से दिनांक 14.06.2000 तक अनेको अवसर दिये गये हैं। परन्तु वादी अपीलाण्ट ने प्रकरण में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। दिनांक 14.06.2000 को अन्तिम अवसर दिये जाने के उपरान्त भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण अधीनस्थ न्यायालय ने उचित रूप से वादी अपीलाण्ट का दावा साक्ष्य के डिफाल्ट में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 17 नियम 3 के अनुसार खारिज किया गया है। अतः हम अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। अपनी स्वयं की लापरवाही के रहते, अनुतोष प्राप्त करने की पात्रता क्षीर्ण होती है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के आदेश दिनांक 23.06.2000 यथावत रखें जाते हैं पत्रावली

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

फैसला शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 19.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर